

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना

11

संविदा सं० 17/ए1-11/08...../पदक्र. दिनांक-23/5/08

राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों के निम्नांकित विभागों के सह-प्राध्यापकों को उनकी प्रोन्नति के उपरान्त उनके नाम के समक्ष स्तम्भ-3 में अंकित चिकित्सा महाविद्यालय में स्थानान्तरित / पदस्थापित किया जाता है ।

क्र०	सह-प्राध्यापक का नाम एवं वर्तमान पदस्थापन	स्थानान्तरित / पदस्थापित वि०महा० का नाम	अभ्युक्ति
1	2	3	4
बायोकेमिस्ट्री विभाग			
1	डा० विनोद शंकर सिंह, अनु०ना०म०चि०महा०, गया	श्रीकृष्ण चि०महा०, मुजफ्फरपुर	
2	डा० सुदे कुमार सिंह, पटना चि०महा०, पटना	दरभंगा चि०महा०, लहेरियासराय	
एनाटॉमी विभाग			
1	डा० रामजी प्रसाद सिंह, पटना चि०महा०, पटना ।	पटना चि०महा०, पटना ।	
2	डा० उदय शंकर सहाय, पटना चि०महा०, पटना	पटना चि०महा०, पटना ।	
3	डा० राजेन्द्र प्रसाद, अनु०ना०म०चि०महा०, गया	अनु०ना०म०चि०महा०, गया	
4	डा० रश्मि प्रसाद, पटना चि०महा०, पटना	पटना चि०महा०, पटना ।	
5	डा० सुरेश प्रसाद श्रीकृष्ण चि०महा०, मुजफ्फरपुर	दरभंगा चि०महा०, लहेरियासराय	
6	डा० आलोक शर्मा, श्रीकृष्ण चि०महा०, मुजफ्फरपुर	जवाहर ला०ने०चि०महा०, भागलपुर.	
फिजियोलॉजी विभाग			
1	डा० मीनाक्षी सान्याल, नालंदा चिकित्सा महा०, पटना	नालंदा चि०महा०, पटना	
2	डा० कमला शर्मा, पटना चि०महा०, पटना	दरभंगा चि०महा०, लहेरियासराय	

2. यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू होगा ।

3. स्थानान्तरित सह प्राध्यापकों को अभिलंब योगदान देने हेतु स्वास्थ्य विभाग (मुख्यालय) स्तर से विरमित किया जाता है ।

4. आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे तथा अपना प्रभार प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी-के-के प्रतियों में दो दिनों के अन्दर उपलब्ध करायेंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश

(जमीरुद्दीन अंसारी)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापक- 668(15) /पटना, दिनांक- 23/5/08

प्रतिलिपि- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7 को सूचनार्थ एवं बिहार गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- महलेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- संबंधित कौषागार पदाधिकारी /वित्त विभाग, पटना / संबंधित प्राचार्य / अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल/ संबंधित चिकित्सक शिक्षकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री के आप्त सचिव / सचिव, स्वा0 विभाग के सचिव//अपर आयुक्त, स्वास्थ्य विभाग के निजी सहायक / संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य के निजी सहायक / प्रशाखा पदाधिकारी-1 एवं निजी सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।